

दिनांक 28 दिसंबर, 2017 को समिति कक्ष, जल संसाधन , नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग मंत्रालय, नई दिल्ली में आयोजित आईएलआर के मुद्दे पर उपलब्ध विभिन्न अध्ययनों/रिपोर्टों के व्यापक मूल्यांकन के लिए उप-समिति की आठवीं बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 28 दिसंबर, 2017 को नई दिल्ली में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालयके मुख्य सलाहकार श्री बी.एन. नवलावाला की अध्यक्षता में आईएलआर (उप-समिति-1) के मुद्दे पर उपलब्ध विभिन्न अध्ययनों/रिपोर्टों के व्यापक मूल्यांकन के लिए उप-समिति की आठवीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सूची अनुबंध-1 पर है।

अध्यक्ष ने बैठक में भाग लेने वालों सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने श्री के.पी. गुप्ता, निदेशक (तक), रा.ज.वि.अ और उप-समिति के सचिव को एजेंडा मदों पर चर्चा के लिए अनुरोध किया ।

**मद संख्या 8.1: दिनांक 26 जुलाई, 2016 को विज्ञान भवन एनेक्सी, नई दिल्ली में आयोजित उप समिति की सातवीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।**

श्री के.पी. गुप्ता, निदेशक (तक), रा.ज.वि.अ ने बताया कि 26 जुलाई, 2016 को नई दिल्ली में आयोजित "उप-समिति-1 की सातवीं बैठक का कार्यवृत्त 23 अगस्त, 2016 के पत्र के माध्यम से सभी सदस्यों को परिचालित किया गया था। उन्होंने बताया कि उपसमिति की सातवीं बैठक के कार्यवृत्त पर किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। इस प्रकार, उप-समिति की 7वीं बैठक के कार्यवृत्त को जेसा कि परिचालित किया गया था , की पुष्टि की गई।

**मद संख्या 8.2: उपसमिति की सातवीं बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई।**

निदेशक (तक), रा.ज.वि.अ ने बताया कि उप-समिति-1 की सातवीं बैठक के दौरान, रिपोर्ट के प्रारूप पर एक प्रस्तुतीकरण दिया गया। सदस्यों द्वारा प्रारूप में कुछ संशोधनों का सुझाव दिया गया। इस प्रारूप का उपयोग करते हुए उप-समिति-1 की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की गई है और इस बैठक के एजेंडे के साथ परिचालित की गई है।

**मद संख्या 8.3: नदी बेसिन में जल संतुलन अध्ययन करने के लिए रा.ज.वि.अके दिशानिर्देशों की समीक्षा**

उपज की गणना पर चर्चा के दौरान, केंद्रीय जल आयोग के सेवानिवृत्त अध्यक्ष और समिति के सदस्य श्री एडी मोहिले ने कहा कि वर्षा-अपवाह सहसंबंध का उपयोग

करके तिथि का विस्तार पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा, उन्होंने संकेत दिया कि डेटा उपलब्धता के स्थान और समय अवधि के आधार पर डेटा के विस्तार की आवश्यकता और विधि तय की जानी चाहिए। अन्य सदस्यों ने भी ऐसा ही विचार व्यक्त किया। अध्यक्ष ने इच्छा व्यक्त की कि बैठक में चर्चा के आधार पर जल उपलब्धता की गणना के लिए प्रासंगिक दिशा-निर्देशों के हिस्से को फिर से तैयार किया जाए और बैठक के कार्यवृत्त के साथ परिचालित किया जाए। अगली बैठक में उप-समिति द्वारा बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि के बाद दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया जा सकता है और अनुमोदन के लिए टास्क फोर्स के समक्ष रखा जा सकता है। जल की उपलब्धता की गणना से संबंधित पुनः तैयार किए गए प्रारूप दिशा-निर्देश अनुबंध-8.3 पर हैं।

#### **मद संख्या 8.4: उप-समिति की प्रारूप रिपोर्ट:**

उप-समिति के अध्यक्ष ने उल्लेख किया कि उप-समिति के अध्याय - 7 के सुझावों और सिफारिशों की विस्तार से समीक्षा की जानी चाहिए।

प्रारूप रिपोर्ट पर विस्तृत विचार-विमर्श के बाद निम्नलिखित बिंदु सामने आए:

(i) अध्याय-2 में पिछली टास्क फोर्स की कार्य योजना-1 और कार्य योजना-2 पर चर्चा की गई है जिसमें कुछ कार्य बिंदुओं का सुझाव दिया गया था। ऐसे बिंदुओं पर रा.ज.वि.अ द्वारा की गई कार्रवाई को "रा.ज.वि.अ द्वारा अनुपालन" के रूप में भी दर्शाया जाना चाहिए।

(ii) अध्याय-4,5 और 6 में, "उप समिति द्वारा मूल्यांकन" पर पैरा दर्ज किया जाना चाहिए।

(iii) समिति ने नदियों की नेटवर्किंग पर रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय (अध्याय-3) के समक्ष दायर हलफनामों/प्रति हलफनामों की गहराई से जांच की, लेकिन चर्चा अनिर्णायक रही।

(iv) उप-समिति ने अध्याय -7 में सिफारिश में निम्नलिखित संशोधन किए:

(क) हिमालयी लिंक को प्रायद्वीपीय लिंक की तरह समान प्राथमिकता दी जाएगी।

(ख) नेपाल के साथ पंचेश्वर बांध पर द्विपक्षीय समझौते में आईएलआर घटक को शामिल करने के संबंध में उप-समिति ने समझौते में किसी भी संशोधन की मांग नहीं करने का सुझाव दिया है, लेकिन पंचेश्वर बांध से बिजली उत्पादन के बाद पानी छोड़ने के आधार पर सारदा-यमुना लिंक की योजना बनाई जा सकती है।

समिति ने रिपोर्ट में निम्नलिखित सामान्य पैरा को शामिल करने का सुझाव दिया:

(क) सभी लिंक के लिए संबंधित राज्यों के बीच सहमति निर्माण, जिसके लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गई है, शुरू की जानी चाहिए।

(ख) अंतरराष्ट्रीय निहितार्थ वाले लिंक के लिए, मंत्रालय को पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते के लिए बातचीत शुरू करने के लिए संपर्क किया जाना चाहिए।

(ग) आईएलआर कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए, रा.ज.वि.अ के प्रत्येक लिंक पर उचित मंच पर चर्चा की जानी चाहिए।

बैठक का समापन अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

### अनुलग्नक-1

दिनांक 28.12.2017 को नई दिल्ली में आयोजित "आइएलआर के मुद्दे पर उपलब्ध विभिन्न अध्ययनों/रिपोर्टों के व्यापक मूल्यांकन के लिए उप-समिति" (उप-समिति-1) की आठवीं बैठक के प्रतिभागियों की सूची

1.	डॉ. बी.एन. नवलवाला, मुख्य सलाहकार, जल संसाधन ,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय उप समिति के अध्यक्ष	अध्यक्ष
2.	श्री ए.डी. मोहिले, पूर्व अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी, नई दिल्ली	सदस्य
3.	श्री ए.सी. त्यागी, प्रधान सचिव आईसीआईडी, नई दिल्ली	सदस्य
4.	श्री ए.डी. भारद्वाज पूर्व महानिदेशक , रा.ज.वि.अ और पूर्व सदस्य, सीडब्ल्यूसी, नई दिल्ली	सदस्य
5.	प्रो. एस. इकबाल हसनैन (सेवानिवृत्त), प्रख्यात पर्यावरण विशेषज्ञ, नई दिल्ली	सदस्य
6.	श्री श्रीराम वेदिरे, सलाहकार, जल संसाधन ,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय नई दिल्ली	विशेष आमंत्रित
7.	श्री आर.के. जैन, मुख्य अभियंता (मुख्यालय), रा.ज.वि.अ नई दिल्ली	विशेष आमंत्रित
8.	श्री एन.सी. जैन मुख्य अभियंता (उत्तर), रा.ज.वि.अ,	विशेष आमंत्रित

	लखनऊ	
9.	श्री एम.के. श्रीनिवास मुख्य अभियंता (दक्षिण), रा.ज.वि.अ, हैदराबाद	विशेष आमंत्रित
10.	श्री के.पी. गुप्ता, निदेशक (तक), रा.ज.वि.अ नई दिल्ली	सदस्य सचिव
रा.ज.वि.अ के अन्य अधिकारी		
11.	श्री मुजफ्फर अहमद, अधीक्षण अभियंता, नई दिल्ली	
12.	श्री अफरोज आलम अधीक्षण अभियंता, नई दिल्ली	
13.	श्री अनिल कुमार जैन, उप निदेशक (एससीआईएलआर), नई दिल्ली	
14.	श्री एस.एल. जैन सलाहकार, नई दिल्ली	

जल की उपलब्धता के बारे में पुनः किए गए प्रारूप तैयार दिशा-निर्देश

अध्याय -5 जल उपलब्धता

जल उपलब्धता

1. जल संतुलन अध्ययन में जल की उपलब्धता पर 75% और 50% निर्भरता का अनुमान लगाया जा सकता है। हालांकि, प्रस्तावित योजनाओं को 75% सफलता दर प्रदान करनी चाहिए।
2. नदी बेसिन/उप-बेसिन में जल संतुलन का आकलन करते समय जल संतुलन अध्ययन को केवल सतही जल संसाधनों पर विचार करना चाहिए।
3. परियोजना स्थल तक जल की उपलब्धता निम्नलिखित के आधार पर की जा सकती है:

i. यदि बेसिन/उप-बेसिन के लिए 40 वर्षों या उससे अधिक के लिए पर्याप्त प्रवाह डेटा उपलब्ध है, तो क्षेत्र अनुपात और वर्षा अनुपात का उपयोग करके उपज को और अधिक युक्तिसंगत बनाया जा सकता है:

साइट पर उपज = जीएंडडीसाइट की उपज x (जलग्रहण क्षेत्र स्थल x स्थल की औसत वर्षा) / (जीएंडडीस्थल का जलग्रहण क्षेत्र x जीएंडडीस्थल की औसत वर्षा)

ii. यदि पर्याप्त प्रवाह डेटा उपलब्ध नहीं है, तो जीएंडडी स्थलपर वर्षा-अपवाह सहसंबंधों के आधार पर विस्तारित प्रवाह श्रृंखला का उपयोग परियोजना स्थल पर उपज की गणना के लिए किया जा सकता है। पूरे मानसून अवधि के लिए वर्षा-अपवाह संबंध समीकरणों के रेखिक और गैर-रेखीय रूप दोनों के लिए प्रतिगमन विश्लेषण द्वारा विकसित किया जाएगा।

उपयोग किए जाने वाले समीकरणों का रूप इस प्रकार होगा:

(i)  $Y = a+bx$

(ii)  $Y = ax^b$

गणना का विवरण अनुलग्नक में प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें वर्षा बनाम अपवाह के ग्राफिकल प्लॉट शामिल हैं। सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त प्रतिगमन समीकरण अनुमान की कम से कम मानक त्रुटि और सहसंबंध के गुणांक के आधार पर चुना जाएगा जो 0.70 से नीचे नहीं है।

III. यदि बेसिन/उप बेसिन के भीतर कोई जीएंडडी स्थल उपलब्ध नहीं है, तो परियोजना स्थल पर उपज की गणना के लिए बेसिन/उप बेसिन से सटे जीएंडडी साइट के लिए वर्षा-अपवाह सहसंबंधों पर आधारित विस्तारित प्रवाह श्रृंखला का उपयोग परियोजना स्थल पर उपज की गणना के लिए किया जा सकता है। पूरे मानसून अवधि के लिए वर्षा-अपवाह संबंध समीकरणों के रेखिक और गैर-रेखीय रूप दोनों के लिए प्रतिगमन विश्लेषण द्वारा विकसित किया जाएगा।

उपयोग किए जाने वाले समीकरण का रूप इस प्रकार होगा:

(i)  $Y = a+bx$

(ii)  $Y = ax^b$

गणना का विवरण अनुलग्नक में प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें वर्षा बनाम अपवाह के ग्राफिकल प्लॉट शामिल हैं। सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त प्रतिगमन समीकरण अनुमान की कम से कम मानक त्रुटि और सहसंबंध के गुणांक के आधार पर चुना जाएगा जो 0.70 से नीचे नहीं है।

4. प्रेक्षित डेटा पर आधारित प्रवाह श्रृंखला वर्षा-अपवाह प्रतिगमन को मौजूदा उपयोग के लिए सही किया जाना चाहिए ताकि नई उपज का पता लगाया जा सके।